रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D (D.)-7

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23, 1980/फाल्गुन 4, 1901
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23, 1980/PHALGUNA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1980

सा.का.नि. 58 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (अ अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलौर पत्तन (अवतरण स्थानों के उपयोग का विनियमन) नियम, 1977 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त धारा 6 की उपधारा (2) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के या उसके बाद विचार किया जाएगा ।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

नियमों का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का नाम नव मंगलौर पत्तन (अवतरण स्थानों के उपयोग का विनियमन) संशोधन नियम, 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नवमंगलौर पत्तन (अवतरण स्थानों के उपयोग का विनियमन) नियम, 1977 में, नियम 2 में,—

(1) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाए, अर्थात् :—

"(4) (क) भाड़ा, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या पट्टे में विनिर्दिष्ट रीति से देय होगा ।

(ख) किराए की अदायगी के लिए निर्दिष्ट तारीख तक यदि किराये का भुगतान करने में, अनुज्ञापत्र के मामले में सात दिनों से अनधिक और पट्टाधारी के मामले में 30 दिनों से अनधिक की चूक हो तो अनुज्ञापत्र धारक या पट्टाधारी जैसी भी स्थिति हो, किराए की बकाया राशि के अतिरिक्त, चूक की अवधि के लिए बकाये की इकट्ठी राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देगा ।

(ग) यदि चूक की अवधि अनुज्ञापत्र के मामले में सात दिनों और पट्टाधारी के मामले में 30 दिनों से अधिक हो तो, पट्टाधर्ता, अनुज्ञापत्रधारी या पट्टाधारी को जैसी भी स्थिति हो, कम से कम सात दिनों की लिखित नोटिस देने के बाद, अनुज्ञापत्र या पट्टे के अंतर्गत उसे आवंटित भूमि पर पुनः अधिकार कर सकता है ।

(घ) भूमि पर इस तरह पुनः अधिकार के मामले में, अनुज्ञापत्रधारी या पट्टाधारी, जैसी भी स्थिति हो, इस तरह के पुनः अधिकार किए जाने पर किसी प्रकार के मुआवजे का हकदार नहीं होगा और न ही भूमि पर किए गए सुधारों को हटाने या ले जाने का हकदार होगा ।

(ङ) इस नियम के अंतर्गत किराये की बकाया राशि पर उस समय तक कोई भी ब्याज नहीं लगेगा जब तक कि अनुज्ञापत्रधारी या पट्टाधारी जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का समुचित अवसर न दिया जाए ।'' ;

(2) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाए, अर्थात् :—

''(8) इन नियमों के अधीन दिए गए अनुज्ञापत्र या पट्टे का और अधिक अवधि के लिए नवीकरण अपेक्षित हो, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा उक्त अनुज्ञापत्र या पट्टे की अवधि की समाप्ति से पूर्व, अनुज्ञापत्र की दशा में सात दिन और पट्टे की दशा में तीस दिन पहले मुख्य इंजिनियर और प्रशासक को नया आवेदन किया जाना चाहिए :

परन्तु यह भी कि जब ऐसा व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के अन्दर ऐसा नया आवेदन करता है, तो विद्यमान अनुज्ञापत्र या पट्टा, जैसी भी स्थिति हो, उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर उस समय तक विधि मान्य रहेगा जब तक कि नये आवेदन का विनिश्चय न कर दिया जाए ।''

[फा. सं. पी. जी. एल.-81/77]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Port Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23 February, 1980

G.S.R. 58(E).—The following draft of certain rules further to amend the Port of New Mangalore (Regulation of the Use of Landing Places) Rules, 1977, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (jj) of sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), is hereby published as required by sub-section (2) of the said section 6, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT-RULES

1. (1) These rules may be called the Port of New Mangalore (Regulation of the Use of Landing Places) Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Port of New Mangalore (Regulation of the Use of Landing Places) Rules, 977,—

(1) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4)(a) The rent shall be payable in the manner specified in the permit card or the lease deed, as the case may be.

(b) Any default, not exceeding seven days in the case of permit card and thirty days in the case of lease deed, in making payment of rent by the date on which it becomes due, shall make the permit card holder or the lessee, as the case may be, liable to pay, in addition to the amount of arrears of rent, an interest at the rate of 15 per cent per annum on the accumulated arrears for the period of such default.

(c) In case the default exceeds seven days, in respect of permit card and thirty days in respect of lease deed, the lessor may, after giving a notice in writing of not less than seven days to the permit card holder or the lessee, as the case may be, resume possession of the land allotted to him under the permit card or the lease deed.

(d) In the case of such a resumption of possession of land, the permit card holder or lessee, as the case may be, shall not be entitled to claim any compensation on account of such resumption of possessions or to remove and take away the improvements, if any, made by him on the land.

(e) No interest on arrears of rent under this rule shall be levied except after affording a reasonable opportunity of being heard to the permit card holder or lessee, as the case may be.";

(2) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(8) If the renewal of the permit issued or the lease entered into under these rules is required for a further period, a fresh application in this behalf shall be made by the person concerned, not less than seven days in advance in the case of permit and thirty days in advance in the case of lease, before the expiry of the period of validity of the said permit or lease to the Chief Engineer and Administrator :

Provided that where such person makes such fresh application within the period so specified, the existing permit or lease, as the case may be, shall remain valid after the period of its validity on the existing terms and conditions, until such fresh application has been decided".

[PGL-81/77]

D. K. JAIN, Joint. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980